अपने ज़मीन अधिकार के लिए संघर्षशील : बाहा मुरमू

कैसे हो हासिल महिला भूमि और संसाधन अधिकार

ये पुस्तिका भारत के कोने–कोने से बहुत सारी महिलाओं के सपने और आशा को प्रस्तुत करती है। आभार है निम्न लोगों/संस्थाओं का जिन्होंने राज्य स्तर पर चर्चा करके इस पुस्तिका के लिए सामग्री जुटाई है।

मराठवाड़ा लोक विकास मंच, जेंडर आजीविका और संसाधन मंच, एकता परिषद्, वर्किंग ग्रुप फॉर वुमेन लैंड ऑनरशिप, सृजन, सोशल डेवलपमेंट फॉउन्डेशन, भूमि अधिकार मंच, निर्माण, साथी ऑल फार पार्टनशिप्स, अदिति, सी.डब्ल्यू.डी.एस., आई.डब्ल्यू.आई.डी., उत्तराखंड महिला भूमि अधिकार मंच और वुमेन स्ट्रगल कमेटी।

आभार

लेखन	:	सीमान्तनी खोट, डॉ. नित्या राव, डी. लीना, आर. गीथा, शिवानी चौधरी, शिउली कुमार, रोमा, प्रवीर पीटर, कमील नारायण, शिवानी भारद्वाज, सुजाता मधोक, वासवी, जारजुम इटे, जिल कार हैरिस और डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ.।
फोटोग्राफ	:	प्रवीर पीटर, शीवेदुं गौतम, मंजु डुंगडुंग, एक्शन एड एवं कमील नारायण
अनुवादक	:	एडवोकेट प्रेम प्रकाश
सम्पादन	:	वकील अहमद, समरीन उस्मानी, प्रवीर पीटर
चित्रांकन	:	बिंदिया थॉपर और ओक एंड मेपल
रूपरेखा एवं मुद्रण	:	ओक एंड मेपल (oak_maple@rediffmail.com)
वित्तीय सहायता और जेंडर दृष्टिकोण	:	एक्शन एड
सी.डब्ल्यू.एल.आर. के सलाहकार	:	डॉ. बीना अग्रवाल, डॉ. नित्या राव, डॉ. गोविंद केलकर, डॉ. एस. हमीद, मिलून कोठारी, प्रोफेसर बाबू मैथ्यू और डॉ. विनय भारद्वाज।

विषय–सूची

महिला भूमि अधिकार मंच	2
भूमिका : महिला भूमि अधिकार	5
महिला समूह के लिये स्थानीय स्तर पर कुछ कदम	8
सरकारी तंत्र के लिये सुझाव	16
विभिन्न गैर सरकारी संगठन एवं महिला भूमि अधिकार	20

महिला भूमि अधिकार मंच

महिला भूमि अधिकार मंच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भूमि एवं अन्य संसाधन सम्बंधित अधिकार की वकालत एवं पैरवी करता है। महिला भूमि अधिकार मंच का गठन साल 2004 में हुआ, पर औपचारिक रूप से 13, 14 नवम्बर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका स्थापन किया गया।

यह सम्मेलन महिलाओं के भूमि एवं अन्य उत्पाद संसाधनों के अधिकारों पर आधारित था। इसमें भारत के अलावा अन्य पांच देशों (किरगिस्तान, युगांडा, नाइजिरिया, श्रीलंका एवं नेपाल) से प्रतिनिधि मौजूद थे। यह सभी प्रतिनिधि इस मुद्दे से जुड़े हैं और अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में महिला भूमि अधिकार मंच से पंजीकृत सदस्यों की संख्या 127 है जिसमें भारत के 8 राज्य एवं विश्व स्तर के 12 देश सम्मिलित है।

पिछले दो साल में महिला भूमि अधिकार मंच के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

जुलाई 2004 मे मानिकपुर, उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यशाला से इसकी शुरूआत हुई। जिसमें मानिकपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र से महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य कामगार महिलाओं की संसाधन एवं जमीन अधिकार से जुड़ी मांगों को संग्रहित करना था। इस प्रक्रिया का परिणाम यह निकला कि कामगार महिलाओं को भूमि अधिकार के प्रति सरकार के उत्तरदायित्वों की जानकारी हुई। इस मुद्दे को अंर्तराष्ट्रीय मंच जैसे बैजिंग 10 में उठाने का महत्वपूर्ण मौका मिला।

सितम्बर 2004 बैंगकाक में अंतर्राष्ट्रीय महिला मीटिंग की तैयारी

इस अंर्तराष्ट्रीय कार्यशाला में महिला भूमि अधिकार मंच ने महिला भूमि अधिकार की वकालत की ताकि इस मुद्दे को बैजिंग 10 का एक केन्द्रीय मुद्दा बनाया जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलीपीन सरकार ने समीक्षा के लिए हुएं **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005**, (न्युयार्क) में अपने वक्तव्य में महिला भूमि अधिकार की बात रखी जिसको बाद में भारत, पाकिस्तान एवं फिजी से आए प्रतिनिधियों द्वारा दोहराया गया। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा।

सृजन नेटवर्क का परामर्श लखनऊ नवम्बर 18, 2005

उत्तरांचल 2004 की कार्यशाला उत्तरांचल सरकार खासकर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन समारोह था जिनके

आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकार और आजीविका पर कार्यशाला : रांची अगस्त 2006

आर्थिक सहयोग से महिला भूमि अधिकार मंच उत्तरांचल के प्रतिनिधि बैंगकाक के सम्मेलन में भागीदारी कर सके। इस कार्यशाला में उत्तरांचल के पांच संगठनों ने भूमि अधिकार मुद्दे पर साथ काम करने का संकल्प किया। परियोजना प्रस्ताव भी उत्तरांचल सरकार को इस सामुहिक प्रयास द्वारा दिये गये। नवम्बर 2004 से जनवरी 2005 तक राज्यस्तरीय संस्थाओं के साथ मिलकर दो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिसमें महिला भूमि अधिकार के लिए मांग पत्र तैयार किया गया।

फरवरी 9 एवं 10, 2005 में एशिया स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें भारत के अलावा एशिया के अन्य भाग से आए प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर काम करना तय किया। ये समझ बनी कि किसी भी अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय महिला अधिकारिता की वकालत करने से सभी संगठन पहले अपने क्षेत्र एवं अपने देश में काम करेगें।

मार्च 2005 में (युएनसीएसडब्ल्यू) में महिला भूमि अधिकार मंच के सदस्यों की कोशिश के कारण (संयुक्त राष्ट्र संघ) सक्रेटरी जनरल ने अपनी बात में महिला भूमि अधिकार कि चर्चा की एवं योजना आयोग, भारत के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ने इस मुद्दे में सक्रिय रूचि व भागीदारी से इसका महत्व बढ़ाया।

मई 26 से 28, 2005

इलाहाबाद में राष्ट्रीय जन सुनवाई हुई जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से महिलाओं ने अपने संघर्ष एवं निजि व सामूहिक विजय हांसिल करने का पुरा ब्यौरा रखा। जन सुनवाई के बाद इसमे भागीदारी करने वाले विभिन्न संगठनो ने भारत की प्रादेशिक विविधता तथा विशिष्टताओं को ध्यान मे रखते हुए स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला भूमि अधिकार के लिए सुझाव पत्र तैयार किया गया।

दिसम्बर 15 से 26, 2005

भारत में महिला भूमि अधिकार पर सामुदायिक स्तर पर हुए कार्यों का दस्तावेज तैयार किया गया। 07 से 10 मार्च तक आयोजित ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय महिलाओं के समूह ने इस द्स्तावेज को सम्मेलन मे विचारार्थ प्रस्तुत किया।

जनवरी 10 से 13, 2005

विभिन्न राज्यों से समुदाय स्तरीय सदस्यों के साथ मिलकर सात सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया जिसे योजना आयोग में 22 फरवरी को महिला भूमि अधिकार मंच सदस्यों ने आगामी 11वीं पंच वर्षीय योजना के संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि अधिकार पर जोर दिए जाने पर आग्रह किया गया।

महिलाओं के भूमि अधिकार संगठनों द्वारा सरकार से मांग

1. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार की महिलाओं के नाम से 2 से 5 एकड़ जमीन देना चाहिये। इस जमीन का उपयोग आजीविका को बढ़ाने में एवं भूमिहीन, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य हाशिये पर स्थित लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये किया जाये।
2. जमीन के साथ अन्य संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान भी दिया जाये।
3. प्रत्येक महिला किसान को उचित आवास का भी अधिकार है।
4. परिवारों को बेदखल एवं विस्थापित न किया जाये। इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाये।
5. महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाये, चरागाह, जंगल, पानी जैसे संसाधनों का प्रबन्धन उनके हाथ में दिया जाये एवं इन संसाधनों पर उनके विधिक अधिकार को भी मान्यता दी जाये।
6. परिवार की परिसम्पत्तियों में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाया जाये साथ ही बाजार पर भी महिलाओं का नियन्त्रण हो इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है।
7. महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाये और बजट के 33 प्रतिशत हिस्से पर नियन्त्रण हो जिससे वे सशक्त हो सकें और शासन सत्ता में बराबरी से भागीदारी कर सकें।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम

पिछले दो सालों में भारत के कुछ भागों से जुड़ी संस्थाओं के सहयोग से महिला भूमि अधिकार मंच का औपचारिक गठन हो सका। इस दौरान उत्तरी भारत के चार राज्य–

उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में राज्य स्तरीय नेटवर्क बनाने कि प्रक्रिया शुरू हुई। जहां उत्तरांचल एवं झारखंड के यह नेटवर्क चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वही उत्तर प्रदेश में काफी प्रयासों के बावजूद भी कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

मुस्लिम महिला सम्मेलन

उत्तर प्रदेश के सहारनपूर जिला, गंगोह ब्लॉक में 26–27 अप्रैल को स्थानीय महिला रेहाना खान द्वारा महिला भूमि अधिकार मंच के सहयोग से मुस्लिम महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह इस प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसमें मुसलमान औरतों के सम्पत्ति एवं जमीन के अधिकार पर खुले तौर पर बातचीत हुई। सम्मेलन के प्रतिभागियों में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ी। देवबंद सहारनपुर से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया हुई।

देशज (आदिवासी) महिला भूमि अधिकार

झारखंड में जेंडर आजीविका एवं संसाधन मंच के साथियों ने एक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें यह मूल्यांकन किया जाएगा कि झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व की क्या अनुपातिक स्थिति है।

8–9 अगस्त को राँची में एक राज्य स्तरीय बैठक हुई जिसमें आदिवासी महिलाओं के लिए एक मांग पत्र तैयार किया गया।

महिला भूमि अधिकार मंच की संभावित रणनीति

इस तरह ऐसा महसूस किया गया है कि सभी सक्रिय साथियों को एक दूसरे से सीखने व समझने कि जरूरत है और इसी प्रेरणा से वैचारिक व अनुभवीय का आदान–प्रदान महिला भूमि अधिकार मंच से हो रहा है।

इस मंच की कोशिश है कि हर वह महिला, हर वह व्यक्ति, और संस्था जो कि भूमि अधिकार से जुड़े है, एक व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा बनें। भारत वर्ष कि उन महिलाओं को जिनकी जिन्दगी कठिनाई एवं अभाव का प्रयास बन कर रह गई है को आने वाले भविष्य को अपने हाथ से संवारने की परिस्थितियां बन सकें। उनकी बेटियों को उन परेशानियों का सामना न करना पड़े जो इन महिलाओं ने किया। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों तक अपनी पहुंच बनाकर महिला भूमि अधिकार मंच ने अपनी पहचान व उपस्थिति घोषित की है। परंतु यह पूरी कोशिश भारतीय महिलाओं को सम्पत्ति एवं जमीन पर अधिकार मिलने के लंबे संघर्ष की दिशा में उठाना निर्णायक कदम है।

यह कोशिश समुदाय स्तरीय संस्थाओं द्वारा पूरी की जा सकती है। अगर हर संस्था, हर व्यक्ति जो महिला भूमि अधिकार मंच के सदस्य हैं, अपने कार्यक्रमों में महिला भूमि अधिकार को शामिल करने का निर्णय लेके यह आंदोलन स्वयं स्फूर्त ऊर्जा व गति प्राप्त करेगा। यह सहयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है:–

विभिन्न संगठन महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जमीन में उनके हक को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदारी करें।

जिला एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी या नेताओं के सक्रिय सहयोग में इस दिशा में प्रभावी पैरवी एवं वकालत की जाएं।

इस मुद्दे पर वास्तविक स्थिति की लिखित जानकारी व्यापक रूप से प्रदान हो। आज यह स्थिति है कि अगर पिछले दो सालों के तमाम कोशिशों के बाद भी समुदाय स्तरीय व्यक्ति एवं संस्था अपने सहयोग के साथ आगे नहीं आऐगें तो अब तक की गई कोशिशों को भविष्योन्मुखी नहीं बनाया जा सकेगा।

आर्थिक सहयोग

अपने छोटे–छोटे प्रयासों से महिला भूमि अधिकार मंच का सचिवालय होने के नाते साथी आल फॉर पार्टनशिप ने वित्तिय अनुदान देने वले संस्थाओं से समय–समय पर सहयोग प्राप्त किया है परंतु समुदाय स्तरीय कोई एक भी परियोजना जो कि महिला भूमि अधिकार एवं सूचना केन्द्र पर आधारित हो का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। कुछ परियोजना प्रस्ताव सदस्य संस्थाओं के पास से आए भी हैं पर अभी तक आर्थिक सहयोग अर्जित नहीं किया जा सका है।

इस पुस्तिका के माध्यम से सभी सदस्यों, सहयोगियों व शुभचिंतकों को सूचित करना चाहते हैं कि यह मंच आपका अपना मंच है। इसको सुदृढ़ बनाना भविष्य की रणनीति तय करना या यही पर खत्म करना सब आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अब समय आ गया है कि आप इसको अपना मंच समझते हुए निर्णय ले कि आप अपने स्तर से किस प्रकार का सहयोग देंगे एवं पत्राचार के माध्यम से सूचित करें। ताकि यह मंच हम सब के संगठित सहयोग से आगे बढ़ सकें।

भूमिका : महिला भूमि अधिकार

हाल के दिनों में हुए वैश्वीकरण एवं सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया को तेज करने और इसमें महिलाओं के हितों को जोड़ने पर बल देना चाहिये। पुरुषों का आजीविका की तलाश में जिस तरह से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और कृषि कार्यों की जिम्मेवारी महिलाओं पर पड़ रही है यह वैश्वीकरण एवं शहरीकरण का ही प्रभाव है। ऐसे में महिलाओं को भी मालिकाना हक देने की आवश्यकता है। आज दो प्रक्रियायें साथ–साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां जल, जंगल, जमीन से गरीबों, आदिवासियों को बेदखल कर बहुद्देशीय कम्पनीयों को जमीन उपलब्ध कराने के खिलाफ सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन चल रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम सामाजिक संगठन महिलाओं के भूमि अधिकारों के प्रति लामबन्द हो रहे हैं। इन संगठनों की मांग है कि महिलाओं को भूमि पर मालिकाना हक दिलाकर लिंग आधारित भेदभाव को खत्म किया जाये एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल की जाये।

महिला को भूमि पर मालिकाना हक महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार कार्यक्रम के तहत दिया जाना चाहिये।

इस लक्ष्य के लिये नीतियों में परिवर्तन करके कानून को सही ढंग से लागू करके किया जा सकता है।

भारत में महिला भूमि अधिकार की स्थिति

महिलाओं के भूमि एवं सम्पत्ति अधिकार से आशय उनके जमीन, आवास एवं अन्य परिसम्पत्तियों पर मालिकाना हक एवं जल, जंगल पर उनकी पहुंच से है। साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता, सूचना एवं प्रशिक्षण भी मिलना चाहिये।

भारत में कृषि भूमि मुख्य रुप से उत्तराधिकार द्वारा हस्तान्तरित होती है, और इससे सामाजिक स्तर एवं सम्मान ऊँचा होता है। परम्परागत भूमि हकदारी व्यवस्था और उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन हो रहे हैं। महिलाओं को भूमि पर हक दिलाने के जो विधिक प्रयास चल रहे हैं उन्हें एक साथ

पानी संस्था द्वारा फैजाबाद यू.पी. में अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान कार्यक्रम नवम्बर 2005

लाया जाये। एक साथ लाने से हमारा अभिप्राय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलायें जिनकी प्राकृतिक संसाधनों पर पहुंच नही बन पायी है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है उन्हें लाभ पहुंचाया जाये।

महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार कार्यक्रम

वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं के भूमि अधिकार सम्बन्धी जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे है, उनसे महिलाओं में उत्साह है और वह अन्य संसाधनों पर भी अपने अधिकार को लेकर सजग दिख रही हैं। महिलाओं को और सशक्त बनाने में महिला सभा एवं त्रिपक्षीय समितियों की अनुसंशाओं को सरकार द्वारा कार्यक्रमों में स्थान देना चाहिये।

सरकारी योजनाये अधिकार से जुड़ी होनी चाहिये न कि याचना या अनुदान से। ये अधिकार सीडा के अनुच्छेद 14,

15 व 16 में तो निहित हैं ही साथ ही साथ आई.सी.ई.एस. सी.आर. के अनुच्छेद 11 में भी इस बात का प्रावधान है जो महिलाओं को जमीन, आवास और अन्य संसाधनों पर अधिकार को सुनिश्चित करता है।

जब महिलाओं को संसाधनों के वितरण की बात आती है उसी समय यह भी सवाल उठता है कि ये संसाधन आयेंगे कहां से? जमीन के संदर्भ में देखा जाये तो वर्तमान सीलिंग कानून बहुत कमजोर साबित हुए हैं। इन कानूनों को खत्म कर दिया गया है, इन्हें पुनः सख्ती से लागू करने की जरुरत है। इन कानूनों को सख्ती से लागू करने की पहली शर्त है कि यह पता किया जाये कि कितनी ऐसी जमीन है जिसे बांटा जा सकता है। हमारा कहना है कि जो अवैध तरीके से कब्जा की गयी जमीन है, उसे मुक्त कराकर केवल महिलाओं में बांट दी जाये। सी डब्लू एल आर की मांग है कि इस तरह जमीन को केवल महिलाओं को बांटने के लिये अगले पांच वर्ष तय कर दिये जायें। एकता परिषद एवं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार एवं श्रम अधिकार अभियान समिति जैसे संगठन का मानना है कि पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। इन संगठनों से जुड़े साथियों ने अवैध तरीके से हथियायी गयी जमीन की पहचान कर ली है जिसे कि बांटा जा सकता है लेकिन इसके लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरुरत होगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की विकास की आवश्यकताओं को दबे कुचले लोगों के उत्थान की योजनाओं

मुस्लिम पर्सनल लॉअ बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अम्बर गंगो सहारन पुर की मीटिंग में अपना बक्तव्य रखते हुए

में समाहित कर दिया गया था। दूसरी से पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो कल्याणकारी योजनायें बनायी गयी उसमें महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल भी शामिल थे। छठी योजना में एक परिवर्तन देखा गया, खासकर महिलाओं के संदर्भ में, वह यह था कि महिलाओं के लिय कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर विकास योजना को समाहित किया गया। नवी एवं दसवीं योजना महिलाओं के विकास के आयाम को लेकर आगे बढ़ी और अन्ततः महिलाओं के सशक्तीकरण की बात की जाने लगी। अन्ततः नयी योजना के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक माध्यम माना गया।

अब जब कि 11वीं योजना सतह पर है और जन संगठनों का जिस तरह से जमीन एवं संसाधनों पर महिलाओं की हिस्सेदारी के प्रति दबाव बढ़ रहा है ऐसे में राष्ट्रीय योजना आयोग के सामने एक अवसर है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर बनायी गयी पुरानी एवं नयी योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक अलग कार्यक्रम बनाकर लागू किया जाये और हर पंचायत और वार्ड में महिलाओं के लिये एक संसाधन केन्द्र खोला जाये।

जब हम पिछली योजनओं पर नजर डालते हैं तो महिलाओं के विकास के तीन चरण सामने आते हैं।

पहला चरण

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग नही थी और अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिये उत्साहित नही थी।

दूसरा चरण

ऐसी महिलाएं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग थी और उन्होंने संघर्ष भी किया लेकिन असफल रहीं।

तीसरा चरण

वे महिलाएं जो आज भी अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रही हैं। यही तीसरा समूह जो अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहा है, महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार कार्यक्रम का पहला केन्द्र बिन्दु होना चाहिये। सूचनाओं के संकलन से उन महिलाओं तक पहुंचा जा सकेगा जो कि संघर्ष कर रही हैं। इस समूह को केन्द्र बिन्दु बनाने का फायदा यह होगा कि इनके माध्यम से उन तक भी पहुंचा जा सकेगा जो संघर्ष छोड़ चुकी हैं या जो अपने अधिकारों के बारे में सजग नही हैं।

सरकार ने डा. एन सी सक्सेना द्वारा प्रस्तुत महिलाओं के सम्पत्ति एवं जमीन पर पर अधिकार सम्बन्धी पत्रों के सुझावों पर अमल करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 2005 में आवश्यक संशोधन किये हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत महिलाओं के नाम भूमि उपलब्ध करा कर एवं संयुक्त खातेदार बनाकर सरकार ने कारगर कदम उठाया है। कानूनों में सम्यक परिवर्तन करके उनमें लिंग समानता के आधारभूत तत्वों को शामिल करने की महती आवश्यकता है। जमीन से जुड़े कानूनों का सम्यक अध्ययन कराकर इन कानूनों को उन महिलाओं जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती है और उपेक्षित है, उनके प्रति ज्यादा उदार बनाने की जरुरत है। आज जिन बातों पर खास जोर देने की जरुरत हैं वह है कि हम वर्तमान कानूनों का एक बार पुनः मूल्यांकन करें और देखें कि ये कानून महिलाओं के कितने हित में हैं। जैसे आदिवासियों के जंगल पर अधिकार सम्बन्धी बिल 2005 को देखा जाये कि इसमें महिलाओं के अधिकारों के लिये क्या प्रावधान है।

एकता महिला मंच के सदस्यों ने सामूहिक खेती से मुनाफा कमाया और हल चलाकर स्थानीय परम्परा को चुनौती दी

महिला समूह के लिये स्थानीय स्तर पर कुछ कदम

आज भारत में महिलाओं की जो स्थिति है उसे देखते हुए 11वीं योजना में महिलाओं के समग्र विकास, सशक्तीकरण जमीन एवं अन्य संसाधनों पर समान अधिकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर तो और भी जोर होना चाहिये तभी जाकर महिलाओं के सशक्तीकरण के कार्यक्रम को मूर्त रुप दिया जा सकेगा।

ग्रामीण महिला कामगारों को उनके संसाधनों पर अधिकार से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरुक करने की जरुरत है।

राष्ट्र संघ द्वारा कराये गये अध्ययनों से जो आंकड़े निकलकर आये हैं उनसे पता चलता है कि विश्व की केवल 1 प्रतिशत भूमि पर ही महिलाओं का

अधिकार है। हमारे पास अभी तक भारत के आंकड़े नही हैं कि यहां पर महिलाओं का कितनी भूमि पर स्वामित्व है। वैसे यहां की हालत भी भिन्न नही होगी। सी डब्लू एल आर की मांग है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके महिलाओं को हक दिलाने का प्रयास किया जाये। हमें यह समझने की जरुरत है कि देश के संसाधनों के कितने हिस्से पर महिलाओं का अधिकार है।

भारत सरकार ने ग्रामीण एवं उपेक्षित महिलाओं के कल्याण के लिये बहुत सारी योजनाओं को चलाया है लेकिन समस्या यह है कि महिलाओं को अभी इस बात की जानकारी ही नही है कि उनके लिये कौन–2 से योजनायें हैं और जीविका चलाने के लिये उनका कैसे उपयोग किया जाये। गांव का पूरा बजट क्या है और उसमें भी महिलाओं के उत्थान के लिये क्या–2 है?, इन बातों के बारे में सूचना दी जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार एवं पंचायती राज व्यवस्था द्वारा संचालित विकास योजनाओं के व्यय के समय महिलाओं की राय को प्राथमिकता देना चाहिये। शायद यह राष्ट्रीय महिला आयोग के 'गांव की ओर चलो' के नारे के साथ जोड़ने पर ज्यादा प्रासंगिक होगा।

मौजूदा कानूनी प्रावधानों एवं लोक समाज द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को गतिशील बनाने एवं विकासोन्मुखी बनाने के लिये सूचनाओं को निचले स्तर तक पहुँचाना होगा।

किस भूमि एवं संसाधन पर महिलाओं का अधिकार है इस बात की निश्चित जानकारी होनी चाहिये। महिलाओं के लिये बनाये जा रहे कार्यक्रमों में इस बात का निश्चित उल्लेख

स्थानीय स्तर पर महिला हक का ऐजेंडा

कदम 8 : महिला आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

कदम 7 : संसाधन पर कानूनी कब्ज़ा दिलावाना।

कदम 6 : ग्राम सभा व सरकारी बज़ट में महिलाओं का हिस्सा।

कदम 5 : जन–सूविधाओं तक पहुंच बढ़ाना।

कदम 4 : संसाधन एवं भूमि आधारित आर्थिक कार्यक्रमों का विकास।

कदम 3 : संसाधन पर स्वामित्व व जमीन का समायक वितरण दिलाना।

कदम 2 : महिला केन्द्र द्वारा सूचनाओं का विश्लेषण एवं प्रसार।

कदम 1 : महिला समूह को संसाधन मानचित्र बनाने का प्रशिक्षण।

होना चाहिये एवं महिला संसाधन केन्द्रों पर दीवारों पर लिखा होना चाहिये।

कदम 1 : महिला समूह को संसाधन मानचित्र बनाने का प्रशिक्षण।

पहली आवश्यकता यह जानने की होती है कि संसाधन क्या है? और कहां है? महिलाओं को इस बात को जानने का पूरा अधिकार है कि उनके पास उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के कौन–2 से साधन उपलब्ध हैं। महिलाओं को यदि इस बात की पहले से जानकारी हो कि उनके पास कौन–2 से और कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं तो वह अपनी आजीविका की बेहतर याजना बना सकती है।

गांव के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के समय जमीन आवास एवं अन्य संसाधनों की जांच की जानी चाहिये। सभी वर्गों की महिलाओ को सूचनायें एकत्र करने के तरीकों को जानना आवश्यक है। साथ ही उनको संसाधनों के मूल्यांकन एवं नियोजन की भी जानकारी होनी चाहिये।

संसाधनों का खाका बनाते समय महिलाओं को भी शामिल करना चाहिये और जल, जंगल जमीन, आवास, पशुओं के रख रखाव, संयुक्त सम्पत्ति, श्रम एवं सुख सुविधा से सम्बन्धित जानकारी एवं उन संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच कैसे बने यह भी बताना आवश्यक है।

सरकार को न केवल उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देनी चाहिये अपितु महिलाओं की प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये भी बजट देना चाहिये जिससे कि उन्हें संसाधनों पर अपना हक लेने में आसानी हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न बातों को अवश्य शामिल करना चाहिये।

(1) ग्रामीण एवं शहरी सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जिन जमीनों को चिन्हित किया गया है उनका वितरण किस प्रकार होगा। इससे यह बात भी साबित होगी कि सीलिंग एक्ट की जरुरत है या नही।

(2) भूमि साक्षरता कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को इस बात से अवगत कराया जाये कि वह जमीन को कैसे प्राप्त करे और उन पर अपना प्रभावी नियन्त्रण बनाये रख सके और साथ ही आवासीय एवं अन्य संसाधनों पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना सके।

इसके अन्तर्गत निम्न बातों कों शामिल किया जा सकता है :–

- इस बात की विधिक जानकारी दी जाये कि उत्तराधिकार कानून के तहत जमीन कैसे प्राप्त की जा सके विशेषकर पत्नी, पुत्रियों, विधवाओं, परित्यक्ता और अलग रहने वाली महिलाओं के सन्दर्भ में।
- ऐसे सरकारी आदेशों जो समय समय पर गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अधिकारों के सन्दर्भ में जारी किये जाते हैं उन्हें बताया जाना चाहिये। जैसे तमिलनाडु में सरकारी आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर 10 वर्ष या उससे ज्यादा समय से जमीन के कब्जे में हो तो वह जमीन उस व्यक्ति की हो जायेगी।
- आदिवासी, दलित, विकलांग, विधवा एवं अन्य कमजोर तबकों को भूमि सम्बन्धी अधिकारों की जानकारी दी जाये।
- बाजार की सुविधाओं के बारे में जानकारी और ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना जिससे कि महिलाओं को विकास की मुख्या धारा में शामिल किया जा सके।
- कृषि मंत्रालय के 40 प्रतिशत भूमि महिलाओं को देने सम्बन्धी कानून को जन–2 तक पहुंचाने का प्रयास किया जाये।
- इस बात की जानकारी देना कि गांव के विकास के लिये कितना धन आवंटित किया गया है और उस पर महिलायों का 33 प्रतिशत का अधिकार है।
- कौन कौन से विकास योजनायें एवं किनके लिये चलायी गयी है इस बात की जानकारी भी होनी चाहिये।

संसाधनों का खाका बनाने से इस बात की जानकारी हो सकेगी कि कौन सी जमीन, तालाब, जंगल अतिरिक्त हैं और उन्हें गरीब महिलाओं में बांटा जा सकता है। जमीन के अलावा विकास की अन्य योजनाओं के बजट की भी जानकारी होनी चाहिये। इस प्रकार पीयूआरए, स्वर्ण जयन्ती रोजगार

योजना, आई आर डी एफ, वाटरशेड और ईजीएस के अन्तर्गत जो बजट प्राप्त है उनको खर्च करने के तौर तरीके भी महिला सभा एवं त्रिपक्षीय समिति द्वारा तय किया जाये।

भिन्न–भिन्न लोगों की भिन्न–भिन्न आवश्यकतायें एवं अधिकार होते हैं। गांव की महिलाओं द्वारा चिन्हित कमजोर तपकों के लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में योजनाओं को चलाया जाये।

11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि जब तक सीलिंग कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नही कर दिया जाता और जमीन का वितरण महिलाओं एवं भूमिहीनों में नही कर दिया जाता तब तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कोई भी पैसा निर्गत नही किया जायेगा।

इस स्तर पर ग्राम पंचायत की भूमिका महिला सभा को सशक्त करने में प्रमुख होगी। जहां कहीं महिला सभा नही है वहां महिला सभा के गठन को प्राथमिकता देनी चाहिये।

संसाधनों के खाका तैयार करने के कार्य में महिलाओं की सक्रिय भागेदारी होनी चाहिये। महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार को कानूनी जामा पहनाने में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण पहल करनी होगी इससे उन्हें ताकत मिलेगी।

प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी के पास महिलाओं के विकास की एक योजना होनी चाहिये और महिलाओं के लाभ की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिये। इसके लिये ग्राम विकास अधिकारी को महिला सभा की बैठकों में सम्मिलित होना पड़ेगा। महिला सभा के सदस्यों में उपेक्षित एवं हासिये पर खड़े तबके के लोगों को भी स्थान मिलना चाहिये। दलित, महिला, विधवा, परित्यक्ता एवं समाज के अन्य कमजोर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिये। इससे महिलायें अपनी समस्या के समाधान के लिये खुद कदम उठा सकेंगी। महिलाओं की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये पंचायत के पूरे बजट का 5 प्रतिशत सुरक्षित रखना चाहिये।

योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, पुनरीक्षण, विवादों का समाधान जैसे कार्य महिला सभा के हाथ में होना चाहिये और उनके लोक तान्त्रिक अधिकारों को तय करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिये।

संसाधनों का स्थानीय स्तर पर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को महिलाओं के हाथ में छोड़ देना चाहिये। इसके लिये जरुरी यह है कि महिला सभा को सही से सूचनाएं होनी चाहिये और कुछ सदस्यों को इसके लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। महिलाओं के लिये कोई योजना बनाते समय जन संगठनों की राय लेना अत्यन्त आवश्यक है।

कदम 2 : महिला संसाधन अधिकार केन्द्र द्वारा सूचनाओं का विश्लेषण एवं प्रसार।

संसाधनों का खाका बनाकर उसकी सूचना गांवों में बैठकों के माध्यम से देना चाहये और दूसरी प्रति गांव के सूचना केन्द्र पर भी उपलब्ध रहना चाहिये। यहां पर सरकार को चाहिये के ऐसे सूचना तन्त्र विकसित करें जिस पर कि महिलाओं का ही अधिकार हो। इस सूचना केन्द्र पर गांव की सभी महिलाओं यहां तक कि जो धनी तबके से तालुक रखते हों वह भी सूचना दे सकें।

ऐसे सूचना केन्द्रों को नई–2 सूचनायें मिलती रहनी चाहिये साथ ही संसाधनों का उचित इस्तेमाल महिलायें कैसे करें यह भी बताते रहना चाहिये नही तो समस्या होगी। गांव की सभी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं एंव आवंटित धनराशि के बारे में जानकारी रहनी चाहिये।

महिलाओं को हम किसान तभी कह सकेंगे जब उनके नाम से जमीन हो। इसके लिये जरुरी है कि महिलाओं का नाम खतौनी एवं खसरा में दर्ज हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जरुरी होगा कि महिला किसानों के संघ को मजबूत किया जाय तभी जाकर महिलाओं को किसान के रुप में मान्यता मिलेगी।

इस सूचना केन्द्र पर लिंग आधारित आंकड़े भी होने चाहिये जिससे महिला भूमि अधिकार कार्यक्रम में क्या प्रगति हो रही है यह पता चलता रहे।

कदम 3 : संसाधन पर स्वामित्व व ज़मीन का समायक वितरण दिलाना।

इस बात की पहचान करना कि किस महिला की क्या जरुरत है और किन संसाधनों से उस जरुरत की पूर्ति हो सकती है। सहभागिता की प्रक्रिया द्वारा महिला सभा को इस बात की जानकारी रखनी होगी कि गांव में कितनी लड़कियां पैदा हुयी और कितनी की शादी हो गयी और कितनी पारिवारिक जिम्मदारियों के निर्वाहन के लिये बाहर गयी हैं। इस आंकड़े द्वारा ऐसी महिलायें जिनके पास जमीन नही है या जो अत्यन्त गरीब है उनका पता चलेगा और उनकी जरुरतों की पूर्ति प्राथमिकता से की जा सकेगी।

महिलाओं को निम्न आधार पर जमीन स्वामित्व की प्रक्रिया के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

(1) व्यक्तिगत स्वामित्व – कृषि योग्य जमीन, बागों, आवास और जीवनयापन की अन्य आवश्यकताओं के लिये महिलाओं के नाम से जमीन हो।
(2) संयुक्त स्वामित्व – पुरुषों के साथ संयुक्त रुप से आय के साधनों को बढ़ाने वाले परिसम्पत्तियों पर अधिकार (जैसे तालाबों, खदानों आदि का पट्टा)
(3) सामुदायिक अधिकार– जल, जंगल एवं अन्य सम्पत्तियों पर सामुदायिक अधिकार।

भिन्न–भिन्न प्रकार की ज़मीनों पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना

जमीन पर मालिकाना हक के मामले में यह सुनिश्चित होना चाहिये कि भूमिहीन और महिलाओं के समूह को भूमि वितरण के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। यद्यपि यह जरुरी नहीं कि सभी महिलायें जमीन पर ही अपनी आजीविका के लिये निर्भर हो। तटवर्ती इलाकों में रहने वाली महिलायें अपनी आजीविका के लिये अन्य संसाधनों पर निर्भर रहती है एवं पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में रहने वाली अलग–अलग संसाधनों पर इसी तरह से भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की जरुरतों के बारे में समझ विकसित करनी होगी।

ग्राम पंचायत की ज़मीन पर

सामुदायिक अधिकारों को बढ़ावा देने के संदर्भ में महिलाओं

को चाहिये कि वह पहचान करें कि किन जमीनों पर उन्हें अधिकार मिलना चाहिये। यह कोई भी जमीन हो सकती है, कृषि भूमि, तटीय भूमि या ऐसी भूमि जिस पर वह तालाब बना सके या अन्य किसी तरह उपयोग कर सकें। सीलिंग जमीन के सन्दर्भ में चाहिये कि पटवारी अवशेष भूमि के बारे में जानकारी दे जिससे कि ऐसी जमीन को व्यक्तिगत रुप से, संयुक्त रुप से या सामुदायिक रुप से बांटा जा सके। जमीन के सामूहिक अधिकार को मजबूती दी जानी चाहिये और पटवारियों एवं अन्य अधिकारियों को सूचना न देने की स्थिति में दण्डित किया जाना चाहिये।

पारिवारिक जमीनों के मामले में एक ऐसी योजना चलायी जाये कि महिलाओं (पत्नियों) के नाम से जमीन आसानी से की जा सके, इसमें यदि जरुरत हो तो रजिस्ट्रेशन आदि के शुल्क में कटौती कर देनी चाहिये ऐसा कुछ राज्यों में पहले किया जा चुका है। गुजरात जैसे राज्यों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इस योजना का असर यह है कि वहां पर बहुत सारे पति जमीन को पत्नी के नाम स्वेच्छा से कर रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण हेतु जमीन महिलाओं को व्यक्तिगत नामों से दिया जाना चाहिये। ऐसे जमीन जहां महिलायें काम करती हैं उसके आसपास होना चाहिये। महिलाओं की जमीन पर नुकसान की भरपायी की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि जमीन के न होने से महिलाओं को न केवल आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है अपितु उनके साथ हिंसा की गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है। महिलाओं के नाम जमीन होने से वह पुरुषों के लिये भी मददगार होंगे।

स्वामित्व के हस्तानान्तरण के लिये जमीन की पहचान करने (जैसे पट्टा, या खरीदी हुई जमीन, पारिवारिक या सामूहिक) के साथ ही विधिक जानकारी देकर महिलाओं के अधिकारों

को सुरक्षित रखा जाये। विधिक प्रक्रिया को बेहतर एवं आसानी से समझााने के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षित एवं स्थायी सामाजिक परिवर्तन के प्रक्रिया को मजबूत करने के लिये सरकारी संरक्षण की आवश्यकता। जब जमीन का हस्तानान्तरण होगा तो महिलाओं के साथ हिंसा भी हो सकती है। ऐसे में विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। साथ ही गरीब एवं हाशिये पर चली गयी महिलाओं के अधिकारों के प्रति सरकारी कर्मचारियों को और भी संवेदनशील होने की जरुरत है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि महिलाएं अपने जमीन पर अधिकार बनाये रख सकें और इससे स्थायी रोजगार प्राप्त कर सके इन दोनों बातों के लिये केवल जमीन पर स्वामित्व ही पर्याप्त नही है बल्कि इस नयी भूमिका के निर्वहन हेतु उन्हें अद्यतन जानकारी भी होनी चाहिये। जमीन प्राप्त कर चुकी महिलाओं के लिये उस पर स्थायी कब्जा कैसे बनाये रख सकें इस बात का विधिक प्रशिक्षण देते रहना चाहिये।

कदम 4 : संसाधन एवं भूमि आधारित आर्थिक कार्यक्रमों का विकास

संसाधनों की पहचान एवं उन पर स्वामित्व के लिये और भी बहुत कुछ करना चाहिये। एक त्रिपक्षीय समिति का निर्माण जिसमें कामगारों, काम देने वालों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिये। इनमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिये। इस त्रिपक्षीय समिति में महिलाओं को संसाधन प्रबन्धन टीम में होना चाहिये जिससे कि संसाधनों का नियन्त्रण महिलाओं के हाथ में हो। एक महिला संसाधन समिति का गठन जिसमें सभी वर्ग जैसे दलित, आदिवासी महिलाओं का चुनाव किया जाये जो संसाधनों के आंकलन, आर्थिक कार्यक्रमों के विस्तार और महिलाओं के संसाधन पर अधिकार कार्यक्रम को मजबूत करें।

महिला संसाधन समिति का पहला कार्य यह होना चाहिये कि ग्राम पंचायत की बैठकों में महिला सभा की आवाज को बुलन्द करें और जहां पर ऐसी समितियों के गठन में विलम्ब हो वहां महिला सभा को खुद यह कार्य करना चाहिये।

महिलाओं के लिये आर्थिक कार्यक्रमों का विकास

भूमि पर आधारित आर्थिक कार्यक्रमों को त्रिपक्षीय समिति की बैठक में तय किया जाना चाहिये जिससे उनकी उपयोगिता एवं स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयास से महिला कामगारों में इस बात का विश्वास जगाया जा सकेगा कि वह भी असंगठित क्षेत्रों के मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रमुख उत्पादक भी हैं।

रोजी रोटी का विकल्प एवं रोजगार के जो भी अवसर हों उन्हें एक श्रमिक समिति तय करें। इस समिति में कामगारों के प्रतिनिधि हों, सरकारी प्रतिनिधि हों एवं रोजगार देने वाले के प्रतिनिधि हों। श्रमिक बोर्ड में लिंग भेद को दूर करने का प्रयास रहना चाहिये। सामान्यतः गांव में महिला कामगारों

की संख्या अधिक होती है ऐसे में श्रमिक समिति में उनका प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिये। इससे सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत महिलाओं को बेहतर लाभ दिया जा सकेगा।

आर्थिक कार्यक्रमों को भूमि विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये। महिलाओं की भूमिका जल संसाधन के क्षेत्र विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

भूमि के प्रशासन के संदर्भ में महिलाओं को संरक्षण और मदद दी जानी चाहिये ऐसा करने से महिलाओं में विश्वास पैदा होता है। महिला समाख्या इलाहाबाद की संघ की महिलाओं ने इलाहाबाद में खदानों को पट्टे पर लेकर बेहतर कार्य किया है। ऐसा करते समय स्थानीय लोगों से उनके टकराव भी हुए लेकिन पुलिस ने कोई मदद नही की। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिये इन महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को साथ्ज्ञ लेकर एक मानिटरिंग टीम बनायी जानी चाहिये।

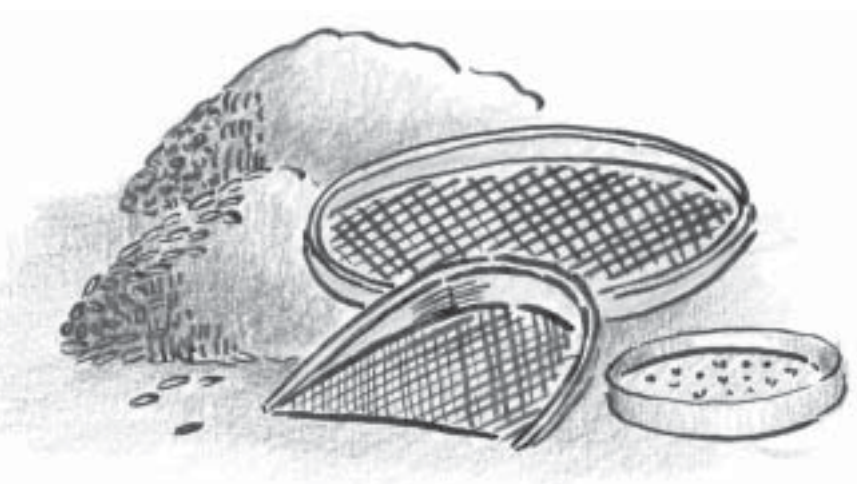

आजीविका के अवसरों को बचाये रखने में सरकार का सहयोग तो आवश्यक है ही साथ ही आपदा न्यूनीकरण, वृक्षारोपण, सुरक्षित आवास, पर्यावरण संरक्षण एवं मौजूदा संसाधनों को बचाने के लिये सचेत रहने की भी जरुरत है।

कदम 5 : जन–सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना

एक बार जब जमीन की पहचान हो जाये और महिलाओं को इस पर वैधानिक हक दे दिया जाय और इस भूमि का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाने लगे, ऐसे में वाटर शेड के विकास की जरुरत पड़ेगी। वाटर शेड कार्यक्रम के अन्तर्गत खराब पानी के उपयोगी बनाने के लिये और मौजूदा पानी के स्रातों को बचाने के लिये पानी पंचायत जैसे नवीन कार्यक्रमों को लेना होगा।

संयुक्त सम्पत्ति, सामूहिक कृषि और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिये प्रति एकड़ 10,000/– रुपये के लागत की जरुरत होगी। इस पैसे का उपयोग मेड़ बन्दी करने, कृषि कार्य के लिये भूमि को उपयुक्त बनाने भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाये रखना, वृक्षारोपण एवं मछली के तालाब इत्यादि बनाने में करना होगा।

जीविका के अधिकार एवं महिलाओं को अन्य सुविधायें उन सभी महिलाओं को देनी होगी जो गांवो में रहती है जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं संसाधनों के रखरखाव स्वयं कर सकें और भूमि को उपजाऊ बना सकें।

जन सामान्य की जरुरत की चीजों पर महिला संसाधन समिति का नियन्त्रण होना चाहिये और स्थानीय निकायों के सहयोग से इसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिये।

जन सामान्य की सुविधाओं को महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार से स्थानीय शासन के ढांचों से जोड़कर देखना चाहिये और इसे महिलाओं द्वारा शासित होना चाहिये।

इन जन सुविधाओं में शामिल है :–

- साफ एवं सुरक्षित पीने का पानी।
- भूगर्भ जल पर सामुदायिक अधिकार।
- आर्थिक कार्यक्रमों के लिये पानी में हिस्सेदारी।
- स्वास्थ्य।
- शिक्षा।
- यातायात
- विद्युत।
- जलाने की लकड़ी।
- सड़कों, दूरसंचार के माध्यमों, इन्टरनेट इत्यादि।

ऐसे आर्थिक कार्यक्रमों जैसे भण्डार केन्द्र, फुटकर विक्रय केन्द्र या अल्पकालिक निवास केन्द्र या छात्रावास भी प्रदान करने के लिये सहयोग की आवश्यकता होगी। जमीन सम्बन्धी संसाधनों की पहचान एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पहचान और आर्थिक कार्यक्रमों से इनको जोड़ना और इनके विकास के लिये जो भी आवश्यकताएं हों उनको विकसित करने में ग्रामीण विकास के सम्पूर्ण बजट का 33 प्रतिशत महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाये एवं 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाये। इससे यह निश्चित किया जा सकेगा कि महिला अपनी राजनीतिक ताकत एवं अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें इस बात के लिये महिला सभा द्वारा ग्राम सभा को एक संकल्प पत्र दिया जाना चाहिये।

कदम 6 : ग्राम सभा व सरकारी बज़ट में महिलाओं का हिस्सा

महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार के कार्यक्रम को ग्राम सभा के बजट में शामिल करना।

इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी बजट में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समुचित सन्तुलन हो। पिछले चरण में महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार की आवश्यकता बारे में चर्चा हुई। इस चरण में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का बजट पर कैसे नियन्त्रण हो यह बताया जा रहा है।

धन के बंटवारे में महिला सभा को त्रिपक्षीय बोर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये जिसमें प्रति महिला, प्रति परिवार एवं प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिये एवं बजट का निर्धारण उसी तरह करना चाहिये।

बजट में इस बात का प्रावधान होना चाहिये कि सभी महिलायें, महिला सभा में सम्मिलित हों। प्रत्येक महिलाओं को यह पता हो कि उनके बारे में जो भी निर्णय होगा उनकी अपनी प्रतिनिधि महिला सभा द्वारा लिया जायेगा एवं महिला सभा के क्या अधिकार हैं। ऐसा तभी होगा जब महिला सभा को मान्यता मिलेगी। ऐसे प्रावधान होने चाहिये कि महिलाओं को उनके दैनिक कार्यों से कुछ समय के लिये मुक्त रखा जाये जिससे कि बैठकों में सम्मिलित हो सके। महिला संसाधनों के केन्द्र की आवश्यकता यहीं साबित होती है।

ग्रामीण विकास बैंक जैसी संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास 11वीं योजना में करना चाहिये जिससे कि ये संस्थायें भी क्रियाशील रहें।

बजट को पूर्ण रुप से पारदर्शी रखना होगा, महिलाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि उनके लिये कितने बजट की व्यवस्था की गयी है और यह धन किसको और कितना कब दिया गया है। इस बात की सूचना प्रत्येक पुरुष एवं महिला को गांव के सूचना केन्द्र से मिलनी चाहिये। महिला सभा एवं त्रिपक्षीय समिति 33 प्रतिशत ग्रामीण विकास के बजट पर अपना दावा पेश करेंगी और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को महिला संसाधन अधिकार कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिये दबाव बनायेगी। यह 33 प्रतिशत बजट में अन्य योजनाओं जैसे अनुसूचित जन जाति के विकास योजनाओं एवं अन्य सुविधाओं, जिन पर पुरुषों के साथ महिलाओं की सामन्यतः पहुंच होती है से अलग होगा। महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार का बजट महिला सभा द्वारा ग्राम सभा के समक्ष एक पत्रक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

इस चरण में औपचारिक रुप से महिला के संसाधनों पर अधिकार कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट पर उनके नियन्त्रण को शामिल किया गया है और इससे संसाधनों के बारे में महिलाओं के समझ को विकसित करने में मदद मिलेगी

कदम 7 : संसाधन पर कानूनी कब्ज़ा दिलावाना

एक बार महिलाओं के परिसम्पत्तियों पर अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम को सार्वजनिक रुप से बहस में ला दिया जाता है और इस पर चर्चा हो जाती है तो निम्न सिफारिशों को विकास कार्यक्रम में जोड़ा जा सकता है।

- ☞ पटवारी द्वारा महिलाओं के उत्तराधिकार में मिले हिस्से पर उनका नाम सभी जमीन सम्बन्धी दस्तावेजों में दर्ज करना तदोपरान्त इन दस्तावेजों को सूचना केन्द्र पर रख दिया जायेगा।
- ☞ ऐसे मामलों में जहां महिलाओं के पास जमीन है उनका नाम सभी जमीन सम्बन्धी दस्तावेज में दर्ज होना चाहिये।
- ☞ सीलिंग की जमीन का पुनः वितरण महिलाओं के नाम या महिला पुरुष दोनों के नाम होना चाहिये।
- ☞ महिलाओं को व्यक्तिगत रुप से या सामूहिक रुप से परिसम्पत्तियां अर्जित करने में मदद करना यहां परिसम्पत्तियों से आशय घर बनाना, मछली तालाब पट्टे पर 45 से 95 साल तक के जमीन लीज़ पर लेने से है।
- ☞ समूह आधारित उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना महिलाओं की स्वामित्व वाली जमीन पर समूह खेती या समूह में मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- ☞ ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करना जिससे महिलाओं

द्वारा समूहिक सम्पत्ति, गांव की सामूहिक जमीन, तटीय क्षेत्र एवं वनगांव पर हिस्सेदारी का दावा किया जा सके।

- ☞ सहप्रबन्धकर्ता के रुप में महिलाओं की पहचान देने के लिये कानूनों में ऐसे परिवर्तन होने चाहिये जिसमें महिलायें जहां कही भी रहें, शादीशुदा है या नही, उनका सम्पत्ति पर अधिकार सुनिश्चित हो।

कदम 8 : महिला आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना

इस चरण में हम यह मानकर चल रहे हैं कि जो महिलायें गांव में हैं उनके पास पहले से निम्न कार्यों के लिये जमीन है।

(1) आर्थिक कार्यक्रमों (कृषि) या बागवानी के लिये जमीन
(2) गृह निर्माण के लिये जमीन
(3) महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार केन्द्रों के निर्माण के लिये

इसके लिये आवश्यकता होगी कि सरकार ग्राम पंचायत को, स्थानीय लोगों की खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा के लिये जमीन मुहैया कराये और इस जमीन पर नियन्त्रण हो। खासकर उन महिलाओं का जो सदियों से उपेक्षित एवं हाशिये पर रही हैं। जैसे दलित, जनजातीय, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ी जातियां। जमीन के हस्तान्तरण के लिये आवेदन पत्र तैयार करने एवं फाइलों के रखरखाव के लिये काफी कुशलता एवं पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी। इस बारे में महिला समुदाय को प्रशिक्षित करने की जरुरत है। उनके प्रशिक्षण के लिये एक उपयुक्त स्थान की जरुरत होगी। इस तरह से महिलाओं के लिये गांव में एक बहुद्देशीय केन्द्र की आवश्यकता होगी जहां पर एक भवन का निर्माण करना होगा जहां महिलाऐं अपने सारे रिकार्ड्स और उपकरणों का सही ढंग से रखरखाव कर सकें। इस भवन में एक बड़े हाल की आवश्यकता होगी जहां महिलायें अपनी बैठकें कर सकें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। महिलाओं पर किसी कठिनायी के समय या मीटिंग के दौरान उनके बच्चों के लिये तीन कमरे का छात्रावास होना चाहिये। यहां सूचनाओं का आदान प्रदान भी होना चाहिये इसके लिये एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होना चाहिये, यहां पर इन्टरनेट, टेलीफोन जैसी सुविधायें एवं महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की घटनायें हो रही है उनका रिकार्ड भी रखने की व्यवस्था होनी चाहिये।

सम्पत्तियों पर अधिकार होने के साथ–साथ महिलाओं ने जो प्राप्त कर लिया है उसे भी आगे बढ़ाने की जरुरत है। इसके लिये महिला सभा एवं त्रिपक्षीय बोर्ड को योजना बनानी चाहिये।

- ☞ जो संसाधन विकसित हो गये हैं जैसे सड़क, जल प्रणाली, ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने वाले एवं भण्डारण की सुविधा, इनका व्यापक और लम्बे समय तक उपयोग किया जा सके, इसके लिये संरक्षण देना।
- ☞ महिला किसानों के लिये ऋण की व्यवस्था, सूचनाओं का आदान प्रदान और सहकारिता पर आधारित बाजार जहां वह अपने फसल का उचित मूल्य पा सके, इसकी व्यवस्था भी करनी होगी।
- ☞ कम वर्षा, सूखा, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान एवं अन्य प्राकृतिक विपदा की वजह से यदि फसल नष्ट होती है तो ऐसी स्थिति में फसलों का बीमा होना चाहिये।
- ☞ महिला भूस्वामियों को जमीन सम्बन्धी कानूनों की जानकारी के लिये विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ एक मानिटरिंग कमेटी का भी गठन होना चाहिये। इस मानिटरिंग कमेटी की मदद से महिलाओं के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों तरह के संसाधनों का सही इस्तेमाल एवं रखरखाव करने में मदद मिलेगी।

सरकारी तंत्र के लिये सुझाव

अब तक योजना आयोग द्वारा सीलिंग कानूनों से महिलाओं को क्या लाभ हुआ इस विशय पर एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी का आयोजन किया जाये। इसमें राज्य सरकारों के साथ–2 महिलाओं के भूमि अधिकारों को लेकर संघर्शरत जनसंगठनों को भी शामिल किया जाये। सरकार को इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये कि किस तरह महिलायें जमीन एवं अन्य संसाधनों को स्वतन्त्र रुप से उपयोग कर सकें एवं भूमि कानूनों को गरीबोन्मुखी बनाया जाना चाहिये। इस प्रकार की सुविधा पहले से ही योजना आयोग, किसान आयोग एवं महिला आयोग को दिये जा चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के विषेश अनुरोध पर 18 अक्टूबर 2004 को बीना अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ''महिलाओं के जमीन पर अधिकार'' विशयक प्रपत्र तैयार किया जा चुका है जो इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विशेश ध्यान देना चाहिये कि जमीन ही महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण का मुख्य स्रोत है।

प्रश्न यह है कि हाशिये पर स्थित महिलाओं के लिये भूमि अधिकार का क्या मतलब है? इसका जबाव यह है कि यह एक विधि द्वारा प्रतिस्थापित अधिकार है जो महिलाओं को सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं रखरखाव का अधिकार देता है जिससे उनको सुरक्षा एवं संरक्षण मिलता हैं एवं वे उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। इस तरह से जमीन केवल एक उपभोग का साधन नही बल्कि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिससे जीविका चलाने एवं उत्पादन की शक्तियों का हिस्सा बनने में मदद मिलती है।

संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के भूअधिकार, उपयुक्त आवास और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को शामिल किया जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में स्थिति भेदभाव रहित और समानता के सिद्धान्त पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिये। इसको निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

कृषि मंत्रालय में सुझाव देते हुए महिला भूमि अधिकार मंच के सदस्य

- ऐसी जनसंख्या जिनके पास न तो कोई जमीन है, न ही कोई अन्य सम्पत्ति उनके लिये कार्यक्रम एवं नीतियां बनाने को प्रमुखता देना।
- वैश्वीकरण एवं निजीकरण के जो बुरे प्रभाव महिला के ऊपर पड़ रहे हैं उनसे बचाने के लिये सामूहिक उपभोग की जो परिसम्पत्तियां है, जैसे (जमीन, पानी, जंगल) उनको सामूहिक स्वामित्व में ही रहने दिया जाये। उनका निजीकरण न किया जाये।
- 73वें संविधान संशोधन की मंशा एवं 11वी अनुसूची के अनुच्छेद 25 की मंशा के तहत पंचायतों को पूरे अधिकार मिलें जिससे वे महिलाओं एवं बच्चों के मामले में सही निर्णय ले सकें।
- महिलाओं के स्वामित्व वाली जमीन एवं आवास एवं अन्य परिसम्पत्तियों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स में छूट, स्टैम्प शुल्क में छूट, गृह शुल्क एवं बिक्री कर में छूट दी जाये।

राष्ट्रीय योजना आयोग को 11वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को जमीन वितरित करने का कार्यक्रम प्रमुखता से लेना चाहिये इसमें न केवल कृषि भूमि अपितु जंगलों को भी शामिल करना चाहिये।

भूमि सुधार और महिला के नाम से भूमि का वितरण एवं मौजूदा भू–कानूनों जो कि गरीबी दूर करने वाले हैं उनको सख्ती से लागू करना चाहिये जिससे गरीबी दूर किया जा सके।

महिलाओं के भूमि एवं अन्य संसाधनों पर अधिकार को वैधानिक आधार मिलना चाहिये

पुराने कानून में सुधार करना चाहिये और नये कानून बनाने के लिये बहस होनी चाहिये।

महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार को भी अन्य प्रगतिशील कानूनों जैसे घरेलू हिंसा बिल, 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिये आदिवासियों के लिये फारेस्ट बिल, कृषि मजदूरी कानून, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये कानून एवं निर्माण मजदूर कानूनों के साथ साथ जोड़कर चलना चाहिये।

यदि इन अधिकारों को ग्रामीण त्रिपक्षीय परिषद से जोड़ने पर इसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने की आशंका हो तो रोजगार एवं सम्पत्ति पर अधिकार वाले कानूनों के लिये अलग व्यवस्था की जा सकती है। इन कानूनों में महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार को स्थान देना होगा और महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार के लिये एक समिति का गठन करना होगा।

इन कानूनों में ग्रामीण मजदूर बोर्ड जिसमें महिलाओं की ज्यादा भागेदारी होती है और जिसमें महिलाओं के भूमि अधिकार को कार्यसूची में प्रमुखता से रखा गया है को उचित स्थान मिलना चाहिये।

राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष सुझाव रखते हुए फरवरी 22, 2006

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर के बजट में महिलाओं के संसाधन को परिभाषित करना होगा।

वर्तमान में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके विकास की जो तमाम योजनायें चलायी जा रही है वह बिखरी हुयी है। कार्यक्रम के स्तर पर जो भिन्न–भिन्न मदों में पैसा दिया जा रहा है यदि उसे एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कर दिया जाये और उसका प्रबन्धन स्वयं महिलाओं द्वारा अपने पक्ष में किया जाये तो बेहतर होगा और इस धन को सीधे गांव या स्थानीय स्तर पर भेजा जाये।

ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती कि पंचवर्षीय योजनाओं में उनके लिये क्या बजट निर्धारित किया गया है। अक्सर यह देखा गया है कि जब तक ग्रामीण स्तर पर प्रतिनिधियों को इस बात का पता चलता है कि कितना बजट उनके लिये निर्धारित किया गया था और उन तक कितना पहुंचा तब तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी शुरु हो जाती है। इस समस्या का एक निदान है कि यदि इस बजट को एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था द्वारा सीधे गांवों को भेज जाये और महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर उनके द्वारा उपयोग किया जाये।

योजना आयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी पैसा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये दिया जा रहा है एवं महिला सशक्तीकरण की जो योजनायें हैं और उनके लिये जो भी पैसा तय किया है उसे सीधे महिला सभा के नियन्त्रण में भेजें और योजना आयोग एवं महिला आयोग (केन्द्र और राज्य दोनो स्तर पर) यह सुनिश्चित करें कि दो साल के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों में महिला सभा का गठन कर दिया जाये।

सरकार को बजट के बारे में सूचना देने के लिये भी कुछ धन निश्चित करना चाहिये, इसमें राज्य के वित्त आयोग के बारे में भी पता होना चाहिये। जो भी इस बारे में जानकारी दी जाये उसे सभी भाषाओं में देनी चाहिये। यह महिला सभा एवं त्रिपक्षीय परिषद के लिये आवश्यक होगा कि वह इस

सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा दे कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाये एवं संसाधनों तक उनकी पहुंच बनायी जाये। महिलाओं को यह तो पता होना चाहिये कि उनके लिये कितना पैसा और किस उद्देश्य के लिये दिया जाता है। जब तक उन्हें इन बातों की जानकारी नही होगी तब तक अपने अधिकारों के प्रति सजग नही हो पायेंगी।

जब महिलाओं के रोजगार, सशक्तीकरण एवं अन्य तमाम समस्याओं के निस्तारण का जिम्मा महिलाओं के स्वयं के हाथ में होगा तो भ्रष्टाचार और धन का कुप्रबन्धन जैसी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा और सच्चे अर्थों में महिलाओं का विकास हो सकेगा। और जब धन प्रबन्धन की जिम्मेवारी इन महिलाओं के हाथ होगी तो न केवल गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी अपितु समाज का भी सर्वांगीण विकास हो सकेगा। यदि लिंग विभेद को मिटाना है, और समाज के इस बड़े हिससे को मुख्य धारा में लाना है तो उन्हें संसाधनों के प्रबन्ध में साझेदार बनाना होगा।

महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार के सवाल को कामगारों के सवाल से जोड़ना

महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार के सवाल को कामगारों के पक्ष में जो योजना चलायी जा रही थी या जो कानून प्रस्तावित है उनसे जोड़ा जाये।

- ➲ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये बनाये जा रहे प्रस्तावित कानून में त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाये।
- ➲ रोजगार गारन्टी कानून एवं योजना।
- ➲ प्रस्तावित वन कानून।

महिला सशक्तीकरण एवं भूमि अधिकार का मामला तो एक ऐसी छतरी की तरह है जिसके नीचे लिंग समानता के तमाम मुद्दे आ जाते हैं। इस तरह महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार के एजेन्डे में उन तमाम चीजों को शामिल किया जा सकता है जो अभी तक उपेक्षित रही हैं, इनके लिये ऐसे लोगों की जरुरत होगी जिनकी मदद से महिलाओं के कल्याण की तमाम कार्य योजनाओं को लागू किया जा सके।

कार्य योजना को लागू करने के लिये कार्यकर्ताओं की सरकारी नियुक्ति

इस बात की अनुशंसा की जाती है कि राष्ट्रीय योजना आयोग श्रम विभाग में ग्रामीण स्तर पर त्रिपक्षीय समिति में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करे। इसके लिये नियुक्तियों पर जो प्रतिबन्ध है उन्हें हटाना पड़ेगा। महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति न केवल महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के आंकड़ों को एकत्र करेगी अपितु रोजगार गारन्टी कानून जैसे तमाम मामलों को सही ढंग से लागू कर सकेंगी।

रोजगार गारन्टी कानून में रोजगार एवं आजीविका मुहैया कराने का प्रावधान है। इसको लागू कराने की व्यवस्था विकसित करने की जरुरत है। इस ढांचे में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये ऐसे समर्पित लोगों की जरुरत होगी जो अलग–2 परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य कर सकें।

पंचायती राज व्यवस्था के भीतर एवं बाहर महिलाओं को मजबूत बनाना

महिला संसाधन केन्द्र पर महिला सभा की जो बैठक होगी उनके चार दायित्व होंगे –

(1) प्रस्ताव तैयार करना।
(2) प्रस्ताव देना।
(3) ग्राम सभा से रिपोर्ट लेना कि महिला सभा की अनुसंशाओं पर क्या कार्यवाही की गयी।
(4) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या–2 कार्यवाही हुई इसको सूचीबद्ध करना।

आगामी बजट में योजना आयोग इस तरह से धन की व्यवस्था करे जिससे महिला सभा प्रस्ताव बना सके एवं ग्राम सभा उसका अनुपालन करे।

इसके लिये धन की व्यवस्था उस 67 प्रतिशत बजट से होनी

चाहिये न कि 33 प्रतिशत, जो कि महिलाओं के लिये आरक्षित है।

पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था के संचालन में महिलाओं की सशक्त भागीदारी करने के लिये महिलाओं को वह ताकत देनी होगी जिससे वे पुरुष प्रधान व्यवस्था को चुनौती दे सके जिसके चलते उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। आज जरुरत इस बात की है कि उन्हें इस बात की आजादी दी जाये कि वे अपने लिये स्वयं नीतियों का निर्माण करे एवं उनको अच्छे तरीके से लागू करे और 11वीं पंचवर्शीय योजना में महिला सशक्तीकरण के जो लक्ष्य है उन्हे लागू कर सकें। महिला सभा को 33 प्रतिशत बजट मिलना चाहिये साथ ही इस बजट को गांव सभा के नियन्त्रण से मुक्त रखना चाहिये। इस बजट से वे अपनी कार्ययोजना को बिना किसी बाधा के लागू कर सकें।

ग्राम विकास अधिकारी को इस बात का प्रशिक्षण होना चाहिये कि महिला सशक्तीकरण के कार्ययोजना को सही तरीके से प्रस्तुत करे एवं ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरुप व्यवस्था का निर्माण करें।

सरकार को कम से कम 40 प्रतिशत भूमि पर महिलाओं के हक को सुनिश्चित करना चाहिये। यह इस प्रकार होना चाहिये कि यह उनका अधिकार है जो उन्हें दिया जा रहा है न कि कोई अनुदान या रियायत।

महिला संसाधन अधिकार समिति जो कि गांव स्तर पर होगी इस समिति के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के संचालन के लिये महिला सभा को ताकत मिलेगी और महिला सभा अपने कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू कर सकेगी।

योजना आयोग को नीतिगत कानूनी, प्रशासनिक हर स्तर से महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों को लागू करने वाले कार्यक्रमों को बनाना चाहिये।

इस प्रक्रिया को कुछ इस तरह शुरु करना चाहिये कि लिंग आधार पर संसाधनों का लेखा जोखा तैयार करे जिससे यह पता चल सके कि क्या परिसम्पत्तियां हैं और कितना और जोड़ने की जरुरत है। इस बात की सूचना एकत्र करनी चाहिये कि वर्तमान में जो संसाधन महिलाओं के पास है उनका उपयोग कैसे कर रहीं हैं और इन संसाधनों पर उनका स्वामित्व और अधिक स्वायत्ता कैसे प्रदान की जाये। इस तरह की सूचनायें एकत्र करने के लिये एक सूचना केन्द्र एवं बैठक स्थल होना चाहिये जो महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरुप हो और जहां पर बिना किसी भुगतान किये वे सूचनायें एकत्र कर सकें। यह केन्द्र महिलाओं के स्वामित्व एवं सशक्तीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। इस केन्द्र पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा सकते हैं एवं जहां पर ठहरने की व्यवस्था भी हो। यहां पर उन तमाम जन सुविधाएं जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली, शौचालय, टेलीफोन एवं इण्टरनेट की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सरकार के पास इन सबके लिये व्यवस्था तो है लेकिन इन्हें कैसे अमल में लाया जाये इस पर चर्चा करना जरुरी है।

- विगत में 500 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा नाबार्ड को दिया गया था ''स्वयं सहायता विकास फण्ड'' के रुप में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये। अब नाबार्ड द्वारा जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये धन सीधे महिलाओं को देना चाहिये एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इसको जोड़ना चाहिये।
- बैंक कर्मियों को महिलाओं की जरुरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिये। पिछले अनुभव से पता चलता है कि बैंक कर्मी महिलाओं को खाता खोलने से भी रोकते हैं।
- बैंक के पूरे बजट का 33 प्रतिशत महिलाओं के विकास के लिये ही होना चाहिये।
- सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों एवं ग्रामीण महिलायें कैसे इन अधिकारों का उपयोग करें इस सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूलों, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी चलाये जाने चाहिये।
- पांचवीं कक्षा से ऊपर के स्कूलों में महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम विकसित किये जाने चाहिये।

उपरोक्त सभी बातों को महिलाओं के संसाधन पर अधिकार कार्यक्रम के तहत लागू किया जाये जिसमें महिलाओं के गांव स्तर पर स्थापित संसाधन केन्द्रों की मदद ली जाये।

विभिन्न गैर सरकारी संगठन एवं महिला भूमि अधिकार

सी.डब्ल्यू.एल.आर. के सभी सहयोगी संगठन इस बात के लिये तैयार हैं कि वे महिलाओं के संसाधनों पर अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम को देश के भिन्न–2 हिस्सों में लागू करने की किसी भी पहल में मदद करेंगे। सी.डब्ल्यू.एल.आर. एवं सहयोगी संगठन सरकार के साथ इस बात के लिये सहयोग करने के लिये तैयार है कि इस ऐजेन्डा को सुचारु ढंग से पूरे देश में लागू करने में मदद करेंगे।

विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं उनके कार्यक्रमों की एक झलक

क्रं.सं.	एन.जी.ओ	कार्यक्रम	राज्य
1.	सहयोग	महिला स्वयं सहायता समूह ने ग्राम सभा से 18 बीघे जमीन ली और उपर जेट्रोपा और 360 वृक्ष लगाए और जमीन के लिये मांगपत्र दिया	शंकरगढ़ इलाहाबाद, उ.प्र.
2.	सूप	महिला समूह फूलों की खेती एवं पशुपालन के लिये ग्राम सभा की जमीन की मांग की	धनवार, मिर्जापुर उ.प्र.
3.	महिला जागृत केन्द्र	विधवा बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के जीविका के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	कर्वी, पहाड़ी चित्रकूट, उ.प्र.
4.	महिला संघर्ष समिति	मछुआरी महिलाओं के लिये सुविधाओं एवं सुनामी पीड़ितों के लिये सुविधाओं के लिये संघर्षरत	तमिलनाडु पुडुचेरी
5.	अदिती	विधवा महिलाओं को उनके पारिवारिक सम्पत्तियों में हक एवं सरकारी योजनाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	गया, नौबतपुर ब्लाक पटना, बिहार
6.	वन ग्राम एवं भूमि अधिकार मंच	महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा औषधीय उत्पाद के लिये वन भूमि, और महिला केन्द्र की मांग	हरिद्वार, उत्तरांचल
7.	ममता एवं साथी	महिला संसाधन अधिकार एजेन्डा को लागू करने के लिये जनमत तैयार करना	कल्सी ब्लाक उत्तरांचल
8.	मराठवारा लोक विकास मंच	दलित महिलाओं के बीच इस बात की जागरुकता पैदा करना कि कैसे जमीन की रख रखाव करें	मराठवाड़ा, महाराष्ट्र
9.	वर्किंग ग्रुप फार वीमेन एण्ड लैण्ड ओनरशिप	सरकारी योजना महिलाओं के भूमिपर स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिये 1. महिलाओं के व्यक्तिगत हाथों में मालिकाना हक 2. महिलाओं के समूह को मालिकाना हक	गुजरात
10.	छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ	200 महिला समूह को प्रशिक्षण एवं आर्थिक कार्यक्रम शुरू कारवाना	गुमला, रांचि, लोहरद्दगा–झारखंड
11.	सहेली अध्ययन केन्द्र	आदिवासी महिलाओं द्वारा गांव की सम्पत्तियों में हिस्सेदारी और ज्ञान केन्द्र खोलने की मांग	साहेबगंज झारखण्ड
12.	एकता परिषद्	कृषि भूमि पर महिला समूह का स्वामित्व एवं खेती का प्रशिक्षण	बिहार व झारखंड

हम आशा करते हैं कि और जनसंगठन भी महिला संसाधन अधिकार पर प्रस्ताव बनाकर अपनी सरकार को प्रस्तुत करेंगे। अभी के माहौल से ये पता लगता है कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के लिये तत्पर हैं। पुडुचेरी सरकार ने एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया था इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कौन सी योजना महिला संसाधन बढ़ाने के लिये लाभकरी हो सकती हैं इस पर विचार होगा। दिल्ली सरकार ने महिला सेंटर बनाने के लिये स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव की मांग की है। गुजरात एवं उत्तरांचल की सरकार ने कहा है कि एक विस्तृत कार्यक्रम पर चर्चा की जाये। इस काम को करने के लिये आपकी पहल जरूरी है और आप ही अपनी सरकार की समझ विकसित कर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकते हैं।

महिला भूमि अधिकार मंच में आजकल निम्नलिखित संगठन सम्मिलत हैं:–

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

ऐडेप्ट–किरगिस्तान, अंगिकार – बांग्लादेश, एशिया पैसिफिक विमेन वॉच, सेंटर फॉर ऐडवांसमेंट ऑफ डेवेलपमेंटस् राइट्स–नाइजीरिया, कम्युनिटि सेल्फ रिलायंस सेंटर–नेपाल, युगैंडा लैंड अलायंस–युगैंडा, विलुथु श्रीलंका–सेंटर फॉर न्यू सोशल डेमोक्रेटिक इनिशियेटिव। फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इनट्रस्ट–नेपाल, डब्ल्यू.ओ.सी.ए.एन./एस.पी.डी.–नेपाल, एसोसिएशन ऑफ रियलाईज़ेशन ऑफ बेसिक निड्स–बांगलादेश, सैन्टर फॉर हयूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट–श्रीलंका, नजावरा एग्रोकल्चरल ट्रेनिंग सैन्टर–वैस्ट अफ्रीका, रूरल इन्वाटरमेंट एण्ड डेवेलपमेंट ऑरगनाइज़ेशन–रवांडा, रूरल विमैन एन.जी.ओ. – किरगिस्तान, एशियन इन्डीजीनस विमैन नेटवर्क– फिलिपईज़, सैन्टर फॉर लैंड ईकॉनामी एण्ड ईकॉनामी राईटस– कीनिया

भारत

एक्शन एड इंडिया, आधारशिला, अरूणाचल प्रदेश विमेन वैलफेयर सोसायटी, भूमि अधिकार मंच, सी.एन.एस.डी.आई., सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड सोशल कनसर्न, सेंटर फार हयूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट, सेहत, सेंटर फॉर विमेन्स डेवेलपमेंट स्टडीज़, जेंडर आजीविका एवं संसाधन फोरम, ग्रामोन्नति संस्थान, हिमालयन कम्यूनिटि फॉरेस्ट सेंटर, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नैटवर्क, इंडिजेनस विमेंस रिसोर्स सेंटर, आई.सी.एच.आर.एल., आई.जी.एस.एस.एस., इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एण्ड डेवेलपमेंट, इंडिया वुमेन वॉच, आई.जी.एस.एस.एस., आई.डब्ल्यू.आई.डी.,जागोरी, मराठवाड़ा लोक विकास मंच, जनहित कला संस्थान, ज्वाइंट विमेंस प्रोग्राम, एमपावरमेंट ऑफ विमेन एंड चिलड्रेन, ऑरगेनाइजेशन फॉर ससटेनेबल डेवेलपमेंट, प्रतिभा कृषि एवं ग्राम विकास सेवा, पैन्यूरीमाई इयक्कम, परमार्थ समाज सेवी संस्थान, पर्याय, पथ, प्रगति ग्रामीण विकास समिति, प्रयास, प्यूसर, सहेली अध्ययन केन्द्र, साथी ऑल फॉर पार्टनरशिप्स, परमार्थ समाज सेवी संस्थान, कोलकता सागनिक वैल्फेयर सोसाइटी, लेपरा सोसाइटी, मातादीन महिला मंच, महिला दक्षता समिति, माटी, एम.एन.पी. एण्ड पी.डब्ल्यू. एन., महिला जागृति केन्द्र, महिला जागृति मंडल, एन. ए. सी. डी. ओ. आर., निर्माण, निर्मला निकेतन, राष्ट्रीय जन विकास संस्थान, रूपांतर रिसोर्स सैन्टर, सोशल एक्शन फॉर एसोसिएशन एंड डेवेलपमेंट, स्वाती, संकल्प, सोशल डेवेलपमेंट फाउंडेशन, तुलसी ग्रामोद्योग आश्रम, उत्तर प्रदेश ऐग्रेरियन रिफार्म एंड लेबर राइट्स कैंपेन कमिटिज़, वारसी सेवा सदन, विमेन्स स्ट्रगल कमिटि, विमेन्स ऑरगनाईज़ेशन फॉर सोश्योकल्चरल अवेयरनैस, वर्किंग ग्रुप फॉर विमेन एंड लैंड ओनरशिप।

व्यक्तिगत सदस्य

सुश्री ऐलीसन अग्रवाल, सुश्री अनीता सोनी, सूश्री चेतना एम. बिरजी, श्री बी.एन. युगन्धर, कमील नारायण, सुश्री डी. लीना, सुश्री गीता गोविल, सुश्री एन गीता भारद्वाज, डा. गोविंद केलकर, जोन बर्कबेक, एन जॉर्ज, सुश्री कोशा त्रिवेदी, सुश्री कुमकुम त्रिपाठी, मंगला दाई थानकर, मन्जु अग्रवाल, मरियम्मा जे कलाथिल, डा. नित्या राव, प्रीति ओज़ा, प्रवट प्रधान, सुश्री प्रियंका वेगद, सुश्री प्रभजोत कौर, प्रोफेसर रामदयाल मुण्डा, राजेश उपाध्याय, प्रोफेसर रितु दीवान, सुश्री रेवा चौबे, सुनेजा, सुश्री समीना दलवई, सुरभि सरकार, शशीकला बहल, सिकन्दर सिंह, सुश्री सिमांतिनी खोट, सुश्री सुजाता मधोक, शिउली कुमार, शीला नेगी, राज मनी, डा. रोशमी दत्ता, मो. कमालउद्दीन, जयन्त वर्मा, महमूद मुख्यिार, नेस इब्राहिमा, नेइलो अगिन्गु, श्री पी जयाराम, सुश्री लुइस विलियम, रिनी जिथोवरेली, श्री राजू प्रसाद, तनुश्री वर्मा, सुश्री एडवोकेट कामयानी, सुश्री वासवी,

अन्य जानकारी के लिये संपर्क करें

कार्यकारिणी समिति सदस्य–भारत

सुश्री सिमांतिनी खोट (फोन) 09422505356,
सुश्री जाड़जूम इटे (फोन) 09436041424,
डॉ. गेब्रियल (फोन) 0452 2605134,
सुश्री वासवी (फोन) 0943 1103047
सुश्री सुदम्मा (फोन) 098844080048
सुश्री शिवानी भारद्वाज (फोन) 9810536717

महिला भूमि अधिकार मंच (सी.डब्ल्यू.एल.आर. - Consult for Women and Land Rights)

उद्देश्य

विश्वभर में महिलाओं के लिये जमीन और उससे जुड़ें संसाधन की मालिकी, उस पर नियंत्रण और पहुंच इन सब बातों में महिलाओं को बराबरी का हक मुहैया हो यह सुनिश्चित करना। मुख्यतः महिलाओं की आवसीय जमीन, कृषि जमीन और उससे जुड़े संसाधनो का हक़, भोजन का प्राधान्य, जीविका की सुरक्षा, इन सब बातों को विशेष मान्यता देना।

रणनीति : – उद्देश्यों को लागू करने के लिये बहुस्तरीय और बहुदिशात्मक पहुंच का सहारा लिया जाएगा, जिसके तहत स्थानीय समुदाय, जिला और राज्यस्तरीय अभियान इन मुद्दों पर चलाया जा सके। इन अभियानों के जरिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया से महिलाओं और उनके जमीन से जुड़े अधिकारों को बढ़ावा देना।

स्थानीय मुद्दों पर राज्यस्तरीय समूह बनाना और योजना आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी केन्द्रिय सरकार की संस्थाओं से जोड़ना। महिलाओं के ज़मीन और संसाधनों के हकों को सरकारी योजना और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के बदलाव के साथ लागू करवाना।

अनुमानित परिणाम

- महिला समूह से महिला भूमि अधिकार मुद्दों पर चर्चा कर विभिन्न देशों में एक कार्यकारी समूह का गठन करना जो कि सरकारी नितियों एवं कार्यक्रमों पर प्रभाव डालेंगे।
- आंदोलन करने वालों, गैर सरकारी संस्थानों एवं शोधकर्ताओं के साथ बातचीत एवं पैरवी कर तय करना कि पहले किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए इस पर प्रकाश डालना।
- समुदाय की महिलाओं में जागरुकता पैदा करना जिससे वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।
- संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करना जिससे महिलाओं के जमीन और संसाधनों के अधिकार पर आधारित नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव लाया जा सके।

क्रियाकलाप

1. महिलाओं के जमीन के अधिकार के बारे में जागरूकता
2. महिलाओं के ज़मीन और संसाधनों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उनको बढ़ावा देना
3. पैरवी और वकालत
4. जुड़ाव और सहभागिता

कनसल्ट फॉर विमेन एंड लैंड राइट्स
सचिवालय–साथी आल फॉर पार्टनरशिप्स
ई – 18 आनंद लोक, मयूर विहार, फेज़ – 1
नई दिल्ली – 110091, भारत
टेलीफोन – 91–11–30220914 / 22756014
ई मेल – sathiallforpartnerships@gmail.com
CWLR@yahoogroups.com
वेबसाइट – www.cwlr.net